प्रेस विज्ञप्ति
12.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने यूको बैंक के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लगभग 1.17 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने हेमंत रायकर और गुंडू केल्वेकर के खिलाफ 07.10.2022 को गोवा पुलिस, पणजी की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 09/2022 के आधार पर जांच शुरू की। आरोपियों पर यूको बैंक को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप है, जिसके तहत उन्होंने बैंक की वर्ना, फातोर्डा और मारगाओ शाखाओं से धोखाधड़ी करके स्वर्ण ऋण प्राप्त किए।

5 सितंबर 2025 को हेमंत रायकर और गुंडू केल्वेकर के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। ईडी की जांच में पता चला कि गुंडू केल्वेकर ने नकली सोने के आभूषण गिरवी रखकर 20 व्यक्तियों के नाम पर 32 सोने के ऋण स्वीकृत करवाए थे। हेमंत रायकर ने सूचीबद्ध स्वर्ण मूल्यांकक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए नकली सोने के आभूषणों को असली के रूप में प्रमाणित किया। ऋण वितरण के तुरंत बाद, धनराशि को सुनियोजित रूप से गुंडू केल्वेकर के निजी बचत खाते में स्थानांतरित कर दिया गया और इसका उपयोग सोने की खरीद और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया। इस मामले में अपराध से प्राप्त कुल धनराशि लगभग 2.81 करोड़ रुपये आंकी गई है।

कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य लगभग 1.17 करोड़ रुपये है, जिनमें पंचरत्न बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, मारगाओ स्थित बेनामी व्यावसायिक दुकान संख्या डी-12, श्रीमती मयूरी केल्वेकर के खाते में जमा राशि और मेसर्स नारायण शेषगिरि ज्वैलर्स में गुंडू केल्वेकर द्वारा धारित सोने की संपत्ति शामिल है। इन संपत्तियों को अपराध की आय या उसके समतुल्य मूल्य के रूप में कुर्क किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।
